

JHUNJHUNU KENDRIYA SAHAKARI BANK LTD.,

BRANCH

PERSONAL LOAN APPLICATION

PHOTOGRAPH

PERSONAL INFORMATION

1	Name
2	Father's Name
3	(I) Residential Address
(II) Permanent Address	
4	Date of Birth
5	Sex	Male Female
6	No. of Dependent	Children Other
7	Education
8	Occupational: Details
	a. Employed
	[Govt./public Sector/under Taking/Public Ltd. Co/Multinational Co./Reputed Institution]	
9	Name & Address of Employer/Establishment
10	Designation
11	Length of service Year Months
12	Monthly/Annual/Income Gross Rs.
	Net Rs.
	Other Regular Monthly Income	Rs
	Please Specify Source
13	Do you own a House	Yes/No
	If yes, is the House Mortgaged – Yes/No
	Value of House (At Cost)

14	Vehicle : Type of Vehicle
	Two Wheeler
	Four Wheeler
15	Owned/Company Provided/ Hypothecated
	Please Liability	Rs.
16	Other Assets owned by	Rs.
	Property) other then House	Rs.
	Bank/Post Office Deposits/NSC's	Rs.
	LIC Policy, Gold, Shares, Debentures	Rs.
	Units of UT/Mutual Funds	Rs.
	Others	Rs.
	Total	Rs.
17	Other Liabilities is Brief	:
	Friends and Relatives	Rs.
	Employers	Rs.
	Banks/F.L.s.	Rs.
	Others	Rs.
	Total	Rs.
18	Purpose of Loan
19	Loan Amount	Rs.
	Proposed/Repayment/Period Months/Years
	Monthly Repayment	Rs.
II.	Details of Bank Account
20	Name of the Bank
	Telephone No.
	Type of Account	Rs.
	Account No.	Rs.
	Year of Opening	Rs.
III.	Two Personal Reference :	
1	Name	2. Name
	Address	Address

	Tel. No.	Tel. No.

IV. Declaration

I/We declare that all the particulars and information given in the application from are true and correct and complete and that shall from the basis of the loan. Jhunjhunu Kendriya Sahakari Bank Ltd., Branch Decide to grant me/us.

I/we undertaking inform Jhunjhunu Kendriya Sahakari Bank Ltd., Branch Regarding change in my/our occupation/employment residential address and to provide any further information that the Bank may require.

I/we confirm that I/we do not have any other credit facilities with any other than that mentioned above. I/we confirm that if I/we avail of any credit facilities with any other Bank in future. I/we will finish the details to inform Jhunjhunu Kendriya Sahakari Bank Ltd., Branch immediately. I/we further authorized in Bank to credit all sums received by the Bank or standing to the credit in my/our name (s) jointly or severally to the loan account, if necessary. I/we confirm that we are resident Indians.

I also undertake that the sanction of the loan is subject to the execution of documents as per the Banks requirements. I agree that the Bank has a right to make such enquiries above me it/they think(s) fir.

Place

Date

Signature of Applicant/Borrower

V. Documentation : (Please submit the following documents along with your application)

- Latest monthly salary slip showing deduction.
- Latest Form 16 from employer (for employees)
- Copy of it return for last two years, duly acknowledged by ITO with computation of income for professionals.
- Copy of Passport of Voters ID Card or Driving License for proof or identity.
- Copy of ration card/Telephone Bill/Passport or Voters ID Card for proof of residence. (Not required from existing customers)
- Latest Passport size Photograph of self and Guarantor.
- Last six month Bank Statement of the account, where salary is credited of self.
- Verification of signature from the Bank where salary is credited or by employees.
- Relieving Letters of Pensioner from the employer.
- Proof of official address (for other than employees)
- Proof of Professional Qualification: Copy of highest professional degree held.

Place :

Date: -

Signature of Applicant/Borrower

FOR BANK USE

Appraisal / Recommendations by Date

.....
.....
.....
.....

Sanctioned by Date

Date

Brach Manager

शाखा प्रबन्धक,

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.,

शाखा

विषय :— डेबिट ओथोरिटी।

प्रिय महोदय,

कृपया मेरे बचत खाता संख्या को नामे लिखकर प्रत्येक माह की प्रथम माह की प्रथम तारीख को किश्त रु. मेरे व्यक्तिगत ऋण खाते में जमा करें। इसके अतिरिक्त अन्य आकस्मिक व्यय, जो बीमा आदि से संबंधित हो, उन्हे भी मेरे उपर्युक्त खाते में नामे लिख कर राशि निकालने का अधिकार बैंक को होगा। इस हेतु मै खाते में आवश्यक शेष बनाए रखंगा।

भवदीय

(आवेदक के हस्ताक्षर)

खातेदार का नाम

पता

प्रथम जमानती का वेतन वितरण

कार्यालय का नाम —

वेतन आय का प्रमाण — पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री इस कार्यालय में पद पर कार्यरत है, इनका माह का कुल वेतन रु. है।

अधिकृत अधिकारी के

हस्ताक्षर व मोहर

प्रथम जमानती का वेतन वितरण

कार्यालय का नाम —

वेतन आय का प्रमाण — पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री इस कार्यालय में पद पर कार्यरत है, इनका माह का कुल वेतन रु. है।

अधिकृत अधिकारी के

हस्ताक्षर व मोहर

प्रथम /द्वितीय जमानती व्यक्ति के सम्बन्ध में सूचना

1 नाम पिता का नाम

2 उम्र जन्म तिथि

3 वर्तमान में व्यवसाय (यदि सेवा में है तो)
 (अ) नियोक्ता का नाम

(ब) पद का पता

(स) मासिक वेतन रु.

4 यदि व्यवसाय है तो मासिक आय व्यवसाय का प्रकार

5 स्थाई पता

6 स्वयं के नाम की सम्पत्ति का विवरण :-
 (1) जमीन स्थान कीमत

(2) जमीन स्थान कीमत

मैं यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त समस्त सूचनाएं मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है। मैं व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने के लिए श्री निवासी की राशि रु. की जमानत देता हूँ। संलग्न 100.00 रुपये के स्टाम्प पर जमानती बोण्ड मेरे द्वारा बैंक के पक्ष में भरा जा रहा है।

जमानत देने वाले के हस्ताक्षर

स्थान नाम
 दिनांक पता

प्रथम /द्वितीय जमानती व्यक्ति के सम्बन्ध में सूचना

1 नाम पिता का नाम

2 उम्र जन्म तिथि

3 वर्तमान में व्यवसाय (यदि सेवा में है तो)
 (अ) नियोक्ता का नाम

(ब) पद का पता

(स) मासिक वेतन रु.

4 यदि व्यवसाय है तो मासिक आय व्यवसाय का प्रकार

5 स्थाई पता

6 स्वयं के नाम की सम्पत्ति का विवरण :-
 (1) जमीन स्थान कीमत

(2) जमीन स्थान कीमत

मैं यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त समस्त सूचनाएं मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है। मैं व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने के लिए श्री निवासी की राशि रु. की जमानत देता हूँ। संलग्न 100.00 रुपये के स्टाम्प पर जमानती बोण्ड मेरे द्वारा बैंक के पक्ष में भरा जा रहा है।

जमानत देने वाले के हस्ताक्षर

स्थान नाम
 दिनांक पता

‘जिसके सम्बन्ध में हो उसके लिए’

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री जाति निवासी
 इस विभाग/संस्था में के पद पर
 कार्यरत है।

श्री/श्रीमती दिनांक से स्थायी
 कर्मचारी है तथा दिनांक को सेवानिवृत होगें/होगी। आप हेतु
 ऋण लेना चाहते/चाहती है। अगर बैंक द्वारा उनको ऋण स्वीकृत किया गया तो विभाग/संस्था इनके
 वेतन में से ऋण की किश्त राशि प्रति माह काटकर रोकड़पाल द्वारा सम्बन्धित बैंक में प्रति माह जमा कराने
 का वचन देता है, तथा विभाग/संस्था इस सम्बन्ध में अन्य और कोई आवश्यक प्रमाण—पत्र मांगने पर देने
 का वचन देता है। इनके वेतन का पूर्ण विवरण जो पिछले माह भुगतान किया इस प्रकार है –

वेतन	कटौतियां
मूल वेतन रु.	भविष्य निधि रु.
महंगाई भत्ता रु.	भविष्य निधि ऋण रु.
विशेष भत्ता रु.	वाहन ऋण रु.
मकान भत्ता रु.	उत्सव ऋण रु.
अन्य भत्ता रु. रु.	मकान किराया रु. अन्य ऋण रु. अन्य कटौतियां रु.
सकल वेतन रु.	कुल कटौतियां रु.

शुद्ध वेतन रु.

हस्ताक्षर कर्मचारी नाम

प्रमाणित पद

विभाग/संस्था का नाम

.....

(हस्ताक्षर अधिकारी मय मोहर) एस. एस. संख्या

(Signature of D.D.O. with Seal)

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू शाखा

वचन पत्र

रूपया –

दिनांक –

मैं/हम पुत्र श्री निवासी
 झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., शाखा द्वारा मांग करने अथवा आदेशित किये जाने
 पर रुपये (अक्षरे) प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से
 के आधार पर चुकाने का वचन देता हूँ।

रेवेन्यू स्टाम्प रु. 1

हस्ताक्षर ऋण प्राप्तकर्ता

JHUNJHUNU KENDRIYA SAHAKARI BANK LTD., JHUNJHUNU

DEMAND PROMISSORY NOTE

Rs

On Demand I/we S/o Shri

Jointly and severally promise to pay the Jhunjhunu Kendriya Sahakari Bank Ltd.,
 or order the sum of Rs (Rupees)
 together with interest at the rate of per cent annum with rests for value
 received.

Place : Borrower (s) Signature

Date : 1- Name

Address

Revenue
Stamp
Rs. 1/-

2 – Signature

Name

Address

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू शाखा

अविरल पत्र

शाखा प्रबन्धक,

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.,

.....

महोदय,

मै/हम एक वचन पत्र रूपये (अक्षरे रूपये मात्र) संलग्न कर अपनी सहमति एवं स्वेच्छा व्यक्त करता हू/करती हू/करते हैं कि यह वचन—पत्र योजना के अन्तर्गत मेरे द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण राशि को प्रत्याभूति स्वरूप माना जावें और उपरोक्त वचन पत्र के प्रति उस समय तक उत्तरदायी हूं/है, जब तक कि उसका चुकता भुगतान नहीं हो जाता है। प्राप्त ऋण राशि के अन्तर्गत असल अथवा ब्याज के रूप में मेरी ओर किसी प्रकार का भी बकाया होने तक इसे ऋण पेटे अविरल प्रत्याभूति के रूप में स्वीकार किया जावें।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर ऋण प्राप्तकर्ता

JHUNJHUNU KENDRIYA SAHAKARI BANK LTD., JHUNJHUNU

LETTER OF CONTINUITY

Whereas on The Jhunjhunu Kendriya Sahakari Bank Ltd., (hereinafter called the “Bank”) agreed to sanction me/us acash credit limit/term loan of Rs (Rupees) only on such conditions separately agreed to between me/us and the Bank and in consideration of the said loan being made I/we have duly signed and delivered to the Bank a Demand Promissory Note for the sum of Rs (Rupees) only Dated

Further, I/we hereby agree to undertake that the said Promissory note for Rs only is to stand and be regarded as continuing security and to be enforceable for all money now are or which may at any time hereafter become due owing of to the Bank on the said loan account.

Place : Borrower (s) Signature

Date : 1- Name

Address

.....
2 – Signature

Name

Address

UNDERTAKING

The Branch Manager,
Jhunjhunu Kendriya Sahakari Bank Ltd.,
.....

Sub : Grant of Personal Loan of Rs. (Rupess)

Dear Sir,

With reference to the bank having sanctioned a personal loan of Rs. (Rupess) only. I have authorized my employer to deduct monthly installment (Principal & Interest) as advised by the you from my salary and shall remit the same to you for credit in my Loan account.

In case my employer does not deduct the required installments (Principal & Interest) as required by you I will make the payment by depositing with you.

Yours Faithfully,

Name & Signature of Borrower

Witness by Surety –

1.

Name with Signature & Address

2.

Name with Signature & Address

ऋण अनुबन्ध (ON NON JUDICIAL STAMP)

(100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

आज दिनांक को श्री/ श्रीमती पुत्र/ पुत्री/ पत्नी
..... जाति उम्र वर्ष, निवासी (जिसे ऋणी
सदस्य सम्बोधित किया गया है) एवं झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., शाखा जिसे
वित्तीय बैंक सम्बोधित किया गया है जरिये शाखा प्रबन्धक के बीच निम्न शर्तों का ऋण अनुबन्ध पत्र
निष्पादित किया जाता है :—

1. यह है कि वित्तीय बैंक ने ऋणी को रु. (अक्षरे रु.)
की साख सीमा /मियादी ऋण योजनात्तर्गत दिनांक तक की अवधि के लिए
स्वीकृत की है।
2. यह है कि ऋण ऋणी को उपलब्ध कराये गये ऋण पर प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से
दैनिक आधार पर बकाया राशि पर बैंक ब्याज वसूल करेगा। जो कि योजना के प्रावधानों के अनुसार
निर्धारित देय तिथि को जमा करवाया जाना आवश्यक होगा।
3. यह कि निर्धारित अवधि में राशि न चुकाने पर बैंक ऋणी से प्रतिशत अतिरिक्त दण्डनीय ब्याज
वसूल करेगा।
4. यह है कि यदि ऋणी सदस्य समय पर देय राशि जमा न करवा पाने की दशा में राजस्थान सोसायटी
अधिनियम, 2001 एवं 2003 के अन्तर्गत वसूली कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा।
5. यह है कि समय—समय पर इकाई का निरीक्षण नाबार्ड शीर्ष बैंक अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा।
इसमें आपको सहयोग करना होगा या निरीक्षण में ऋणी द्वारा ऋण का दुरुपयोग पाया जाता है तो
बैंक समस्त ऋण एकमुश्त वसूल करने का स्वतन्त्र होगा।
6. यह है कि सहकार जीवन सुरक्षा योजनात्तर्गत एवं दुर्घटना बीमा पर होने वाला व्यय ऋणी द्वारा वहन
किया जावेगा। उक्त प्रकार की बीमा बैंक में समय—समय पर प्रचलित नियमों के तहत किया जावेगा
लेकिन बैंक इस हेतु बाध्य नहीं होगा तथा बीमा कवर उपलब्ध नहीं होने के वजह से होने वाली क्षति
के लिये ऋणी स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. यह है कि बैंक द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देश एवं संशोधित ब्याज दर ऋणी को मान्य होगी।
8. यह कि उक्त साख सीमा/सावधि ऋण जिस दिनांक को देय है, उस दिनांक को राशि जमा न करवाने
/साख सीमा के नवीनीकरण न कराने, की दशा में ऋण खाता अवधिपार हो जावेगा।
9. यह कि ऋणी द्वारा वर्ष में एक बार अथवा योजना में वर्णित प्रावधानों के अनुसार देय तिथि को समान
बकाया राशि चुका कर खाता शून्य करना होगा, इस आधार पर आगामी वर्ष के लिए खाते का
नवीनीकरण किया जा सकेगा।
10. यह है कि मैं/हम हल्फीया बयान करता हूँ कि साख सीमा जारी रहने तक समस्त लेनदेन बैंक के
माध्यम से करुंगा।
11. यह है कि मैं/हम हल्फीया बयान करता हूँ कि ऋण से अर्जित सम्पत्ति पर समस्त ऋण राशि चुकता
होने तक बैंक का प्रथम प्रभार मानने के लिए सदैव पाबंद रहूँगा।
12. यह है कि मैंने किसी अन्य वित्तीय संस्था से किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं ले रखा है।
13. यह है कि मैं/हम हल्फीमा बयान करता हूँ कि हल्फनामा हाजा सच व सही लिखाया है।

हस्ताक्षर शपथगृहिता

दिनांक —

स्थान —

प्रमाणित

नोटेरी पब्लिक

ऋणी

गवाह —

1.
2.

बैंक अधिकारी

We & to hereby stand as sureties and bind ourselves to be jointly and severally liable to the above named Bank for the due repayment of this Loan with interest thereon in accordance with the above condition and the rules and by-laws of the Bank and we agree that our liability there under shall not be terminated or affected by the said Bank giving or any other indulgence to the within named borrower.

Dated this the day of

Signature of Sureties 1.
 2.

Received this day from Jhunjhunu Kendriya Sahakari Bank
Ltd., Branch the sum of Rupees being the
amount of the Loan within mentioned.

Borrower Signature

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री उम्र वर्ष, जाति
..... ग्राम पोस्ट तहसील जिला
का/की निवासी हूँ –

1. मैं विभाग में स्थायी एवं नियमित कर्मचारी/अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ तथा दिनांक से कार्यालय में पद स्थापित हूँ।
2. बैंक द्वारा व्यक्तिगत ऋण योजनान्तर्गत रु. का ऋण/साख सीमा मेरे पक्ष में स्वीकृत की है/स्वीकृत की जानी प्रस्तावित है।
3. मैंने किसी वित्तीय संस्था/बैंक से व्यक्तिगत ऋण नहीं ले रखा है तथा उक्त स्वीकृत ऋण की पूर्ण चुकौती से पहले किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था से व्यक्तिगत ऋण नहीं लूगा।
4. उक्त ऋण का उपयोग घरेलू कार्य/..... उपयोग हेतु किया जावेगा।
5. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सेवा निवृति से पूर्व इस बैंक के समस्त बकाया ऋण को मय ब्याज एवं खर्चों के चुकता कर बैंक से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लूगा। यदि इस ऋण को जारी रखना होगा तो इस हेतु सेवा निवृति से पूर्व बैंक से आवश्यक सहमति ली जावेगी।
6. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा बैंक के चाहे अनुसार बैंक के चैक चैक नम्बर से तक इस बैंक के पक्ष में बिना राशि भरे प्रस्तुत किये जा रहे हैं। जिन्हे बैंक ऋण के चुक आदि की दशा में समस्त बकाया की वसूली हेतु उपयोग में ले सकती है।
7. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि शपथ पत्र के मद सं. 1 से 8 तक प्रार्थी की व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास से सत्य एवं सही है। कोई तथ्य छुपाया, घटाया या बढ़ाया नहीं है।

दिनांक –

स्थान –

पता

प्रार्थी के हस्ताक्षर मय

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू शाखा

दृष्टिबन्धक लेख

संख्या –

राशि –

नाम झुंझुनू

केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., (जिसकों आगे बैंक की संज्ञा दी गई है) ने (.....) (जिसकों आगे ऋणी की संज्ञा दी गई है) को प्रार्थना पर उद्देश्य से ऋण प्रदान की स्वीकृति पर एक खाता रूपये तक का ऋणी के नाम खोला है अथवा खोलना स्वीकार किया है जो खाता बैंक द्वारा समाप्त न किये जाने तक चालू रहेगा और जिसकी सुरक्षा के लिए सम्पत्ति को दृष्टि बन्धक करने हेतु बैंक एवं ऋणी (जो व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में बाध्य होना स्वीकार करते हैं) के मध्य निम्नलिखित अनुबन्ध किया जाता है।

1. कि ऋणी सम्मिलित सूचिका में सामान्यतः वर्णित सामान पर, बैंक के पक्ष में प्रथम प्रभार स्थापित करता है ऋणी का यह सामान स्टोर्स, स्टाक, कच्चा अथवा माल, मशीनरी, फर्नीचर आदि जो भी सामान ऋणी के गोदाम, कार्यालय फैक्ट्री अथवा अन्यत्र किसी स्थान में भी रखा हुआ अथवा संग्रहित है अथवा भविष्य में हो जो कि खाते की समाप्ति पर अथवा किसी भी समय ऋणी द्वारा बैंक को देय रकम के भुगतान की सुरक्षा हेतु है, वह आगे उप प्राधियित सामान (हाईपोथीकेटेड गुड्स) सम्बोधित किया जावेगा इस अनुबन्ध में वर्णित बैंक को देय रकम के अर्थ में किसी समय भी मूलधन को अवशेष रकम के साथ—साथ निम्न प्रकार उल्लिखित दर से सभी दिन प्रतिदिन का ब्याज व सभी ऋण अथवा दायित्व, जिसका वर्णन आगे चरण (13) में किया गया है वह रकम जो भी उपप्राधियित सामान के सम्बन्ध में अथवा उसकों बेचने आदि के सम्बन्ध में बैंक द्वारा चार्ज अथवा खर्च की जावेगी, समझी जावेगी।
2. कि उपप्राधियित सामान और उसकी बिकी वसूली एवं इन्स्योरेंस से प्राप्त सभी प्रतिफल एक मात्र बैंक की सम्पत्ति की तरह विशेषतः इस दृष्टिबन्धक हेतु रहेगा और ऋणी उसकों अथवा उसके किसी भाग की बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य ऋण की एवज में बन्धक अथवा प्रतिभूति स्वरूप नहीं रखेगा और उस पर अथवा उसके किसी भाग पर कभी किसी प्रकार का प्रभार उत्पन्न नहीं होने देगा और न कभी ऐसा कोई कार्य करेगा, जिससे उप प्राधियित सामान अथवा उसकी बिकी वसूली एवं इन्स्योरेंस से प्राप्त किसी प्रतिफल को हानि पहुंचे अथवा जिस कार्य के लिए बैंक द्वारा लिखित में निषेध किया गया हों।
3. कि ऋणी बैंक का पूर्व स्वीकृति से उप प्राधियित सामान को किसी प्रकार तभी व्यय कर सकता है अथवा बेच सकता है जबकि वह कम से कम उस सामान के मूल्य के बराबर रकम पहले से खाते

में जमा करा दे अथवा बैंक की लिखित स्वीकृति प्राप्त करके उस मूल्य के बराबर अन्य सामान उसके स्थान पर बंधक कर दे।

4. कि ऋणी बैंक के कर्मचारियों अथवा एजेन्ट्स को समय—समय पर अपने गोदामों अथवा उन स्थानों में जहां उप प्राधियित सामान रखा हो, उस सामान को निरीक्षण, देखभाल, मूल्यांकन करने अथवा सूची बनाने हेतु प्रवेश देगा और बैंक अथवा उसके कर्मचारियों को तदर्थ आवश्यक सुविधाएं देगा।
 5. कि ऋणी उन गोदामों का अथवा स्थानों का जहां उप प्राधियित सामान रखा हो, किराया एवं कर आदि समय—समय पर अदा करता रहेगा और उनकों सब प्रकार भार मुक्त रखेगा।
 6. कि उप प्राधियित सामान को आग, चोरी अथवा खराबे के कारण हुई सब प्रकार की क्षति की पूर्ति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ऋणी की होगी, अतः यह बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त कर्म्पनी में बैंक के हित में उप प्राधियित सामान का आग, चोरी आदि से रक्षार्थ आवश्यक इन्श्योरेन्स करा कर पोलिसियों व किश्तों की रसीदें बैंक के नाम करके बैंक द्वारा मांगी जाने पर तुरन्त देगा और यदि ऐसा करेगा, तो तीन दिन बाद बैंक को ऋणी के खर्च से ऐसा इन्श्योरेन्स कराने का अधिकार होगा, लेकिन बैंक उक्त इन्श्योरेन्स करवाने हेतु बाध्य नहीं होगा तथा इन्श्योरेन्स कवर नहीं होने की स्थिति में होने वाली क्षति के लिये ऋणी स्वंयं जिम्मेदार होगा/होंगे।
 7. कि उक्त इन्श्योरेन्स के कारण जो कुछ रकम प्राप्त होगी, यह रकम बैंक को देय रकम के भुगतान के लिए काम आयेगी और अधिक होने पर शेष रकम चरण (13) में वर्णित कार्यों में खर्ची जावेगी।
 8. कि ऋणी उप प्राधियित सामान के बैंक द्वारा समय—समय पर निर्धारित मूल्य और बैंक को देय रकम के बीच प्रतिशत न्यूनतम अन्तर बैंक के हित में सदैव बनाये रखेगा। यह अन्तर बैंक द्वारा किसी समय निर्धारित मूल्य पर आंका जा सकेगा व अन्तर को सदा रखने के लिए ऋणी या तो नकद रकम खाते में जमा करता रहेगा अथवा उसी मूल्य का अन्य सामान बैंक की लिखित स्वीकृति से उप प्राधियित करता रहेगा।
 9. ऋणी इस दृष्टि बन्धक लेख के अन्तर्गत बैंक से प्राप्त समस्त ऋण ब्याज व खर्च आदि सहित ऋण प्राप्त करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि में या योजना में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित देय तिथि, जो भी पहले हो चुका देगा/देगे।
- 10 ब्याज की शर्त :—
- (अ) कि ऋणी बैंक द्वारा उसकों उधार दिए गए मूलधन पर प्रतिशत दर से योजना के प्रावधानों के अनुसार बैंक द्वारा यथा समय निर्धारित तिथि को नकद ब्याज अदा करेगा।
 - (ब) कि बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर ऋणी ने किसी समय बैंक को देय सम्पूर्ण रकम नहीं चुकाई तो वह कुल मांगती रकम पर निर्धारित दर से प्रतिशत अधिक दर से ब्याज का लेनदार होगा।
11. बैंक को देय रकम के भुगतान को उपरोक्त शर्तों का अथवा इस इकरार को किसी शर्त का ऋणी द्वारा उल्लंघन होने पर बैंक के अफसरों अथवा एजेन्ट्स को ऋणी को बिना नोटिस दिये, परन्तु

ऋणी के हर्ज और खर्चे और यदि जरूरत हो तो ऋणी के मुख्तार की तरह ऋणों के बजाय अथवा की ओर से उन सभी स्थानों पर जहां उप प्राधियित सामान रखा हो प्रवेश करने का, रहने का, उप प्राधियित सामान को कब्जे में लेने का, वसूल करने का अथवा सम्भाल लेने का अधिकार होगा, इस कार्य के लिए बैंक के किसी अफसर को रिसीवर के रूप में नियुक्त करके निलामी करके, बेचने का व्यक्तिगत करार करके अथवा अन्य प्रकार भी उप प्राधियित सामान या उसके किसी भाग का प्रबन्ध करके बैंक के उपरोक्त अफसरों के द्वारा इस प्रकार इस सम्बन्ध में स्वेच्छा से किसी प्रकार का समझौता करके, हिसाब करके, वसूली करके अथवा अन्य किसी प्रकार सौदा बेचने से प्राप्त रकम को देय किसी रकम के भुगतान के लिए ले सकता है मगर बैंक अपने उक्त अधिकारों के उपयोग के कारण हुए किसी खर्चे का अथवा हर्जे का जिम्मेवार नहीं होगा तथा उक्त खर्चे ऋणी द्वारा वहन किये जावेंगे। बैंक अपने अधिकारों के सम्बन्ध में न्यायालय से अथवा राजस्थान को—ऑप. सोसायटी एक्ट 1965, 2001 व 2003 अथवा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार विधिक सहायताएँ भी प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, ऋणी करार करता है कि वह बैंक द्वारा रखे गये गिरवी सामान के बेचने के हिसाब को सही मानकर खाते में बाकी रही कमी को पूरा करने का स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार होगा।

12. कि यदि उपरोक्त प्रकार बेचान से प्राप्त रकम उस वक्त खाते के हिसाब में बाकी रकम के चुकती भुगतान के लिए प्रर्याप्त नहीं हो, तो बैंक ऋणी का अथवा उनमें से किसी का वहन धन जो बैंक के उस वक्त आधीन हो, उक्त खाते के हिसाब में बाकी को देय रकम के भुगतान में ले सकता है और यदि बैंक के अधीन ऐसा कोई धन न हो और यदि हो तो वह भी चुकती भुगतान के लिए अपर्याप्त हो तो ऋणी वादा करता है और करार करता है कि वह चरण (14) में उल्लिखित सभी प्रकार से रखे जाने वाले उस हिसाब पर अदायगी के वादे को स्वीकृति में अपने दस्तखत कर देगा, किन्तु इससे बैंक के खाते में किसी भी बाकी देय रकम की वसूली करने के संबंध में बैंक की उपरोक्त स्वीकृति से उसके किसी अधिकार पर न तो कोई विपरीत प्रभाव होगा न ऐसे अधिकारों में कमी आवेगी, चाहे सारा अथवा अंशतः कोई उपप्राधियित सामान ही क्यों न उपलब्ध हों।
13. कि उक्त प्रकार से प्राप्त शुद्ध आय में से यदि बैंक को देय सभी रकम के चुकती भुगतान के बाद कुछ शेष रहे, तो भी वह भी बैंक ऋणों अथवा उनमें से किन्हीं के, अधीन अन्य खातों को रकम के साथ—साथ बैंक के प्रति ऋणी अथवा उनमें से किन्हीं के विरुद्ध व्यक्तिगत अथवा सम्मिलित रूप से अब शेष किन्हीं और लोन्स, डिसकाउटेण्ट, लेटर्स ऑफ गारन्टीज चार्जज चालू या देय, अन्य ऋण दायित्व वैधिक या सामयिक सब प्रकार की जिम्मेदारियों सहित चाहे ऋणी दिवालिया करार दिया जा चुका हो अथवा दिया जावे या किसी प्रकार लिक्वोडेशन में हो तो भी, ब्याज सहित चुकती भुगतान करने में लगा सकता है।

14. कि ऋणी इकरार करता है कि वह बैंक के एकाउन्टेंट अथवा अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये हुए उस हिसाब को, जिसके द्वारा ऋण का देय रकम की मांग की जावें, बिना किसी बाउचर, दस्तावेज अथवा अन्य लिखावट दिखाने को मांग किये सही मानेगा।
15. कि यह इकरार समय—समय पर अथवा बैंक को अन्तिम देय रकम की सुरक्षा में सदैव प्रतिभूति रूप कायम रहेगा और खाते में समय देय रकम की जमा के उपरान्त भी प्रतिभूति अथवा उप प्राधियित सामान इसी प्रकार तब तक सुरक्षित समझा जावेगा जब तक कि बैंक लिखित में इस इकरार को समाप्त नहीं कर देगा।
16. कि ऋणी घोषित करता है/करते हैं कि उप प्राधियित सामान ऋणी की एकमात्र सब प्रकार के भार से पूर्ण मुक्त सम्पत्ति है और आयन्दा भी सामान उसके अन्तर्गत आयेगा वह भी इस प्रकार भार मुक्त होगा कि ऋणी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है/नहीं किया जावेगा अथवा ऐसे कार्य में भूल—चूक नहीं की है/नहीं की जावेगी, जिससे कि उक्त उप प्राधियित सामान अथवा उसमें से कुछ वे बन्धक नहीं रख सकें और प्रतिज्ञा करते हैं कि बैंक के चाहने पर वह सब कार्य खर्चे से करेंगे जिससे कि इस इकरार का बैंक के हित में अक्षरशः सही प्रकार पालन हो सके अथवा इकरार के पालन में बैंक को सुविधा हो।
17. कि यदि ऋणी फर्म है अथवा सदस्य है तो फर्म के नाम व विधान में इस इकरार की अवधि तक ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा जिससे कि ऋणी अथवा उनमें से वर्तमान दायित्व में कमी हो जावे अथवा दायित्व से छुटकारा मिलता हों।

इस दृष्टिबन्धक लेख की साक्षी में आज दिनांक की ऋणी ने निम्न गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कर दिये हैं कि सनद और समय पर काम आवें।

दिनांक —

स्थान —

हस्ताक्षर ऋणी मय पता

गवाह — 1

2

The Branch Manager,
Jhunjhunu Kendriya Sahakari Bank Ltd.,
.....

Reg. : Remittance of Salary of Shri

W/o S/o

..... at ours.

{Designation}

We have to inform you that our above employee has given us an irrevocable authority to remit his monthly installment (Principal & Interest) in full for credit of his/her Savings/Current/Loan A/c. No with you, till adjustment of his Consumer/Vehicle Loan A/c. (with interest and Expenses) in full & has also requested us to acknowledge the same for same for having noted the instructions.

As such, we hereby acknowledge receipt of the above undertaking from the employee, and have registered the instructions at our end. We assure you that his monthly instalment in full will be remitted to you every month for credit of his aforesaid A/c. with effect from

Signature of the Employee

Signature of the Employer

[With Designation & Stamp

Of the Concern]

The Branch Manager,
Jhnjhunu Kendriya Sahakari Bank Ltd.,
.....

Dear Sir,

Shri/Smt S/o W/o Shri

IRREVOCABLE LETTER OF AUTHORITY SCHEME

- 1 I/we certify that Shri/Smt is a permanent employee of this organization drawing gross salary Rs per month.
- 2 In view of your agreeing to grant to him/her a loan, under the captioned scheme, we have receivew and noted :
 - (i) the irrevocable letter of authority from the emolpyee for deducting a sum of Rs from his/her salary per month beginning from the salary for the month of
 - (ii) the irrevocable letter of authority from the employee, for crediting his/her salary every month to his/her account with Jhunjhunu Kendriya Sahakari Bank Ltd., Branch till we receive further instructions from you.
 - (iii) the irrevocable letter of authority in respect of making payment out of any amount payable to the employee including the amount payable be way of terminal benefits like P.F. and gratuity in case of his/her death, retirement, resignation or discontinuing the services for any reason whatsoever, to Jhunjhunu Kendriya Sahakari Bank Ltd., Branch towards the balance outstanding in the aforeasaid Loan Account, togerther with interest etc., and such payment shall be deemed to be a payment to the employee or on his account.
 - (iv) the employee agree that he/she will not be entitle to withdraw or revoke his/her authority, even in case of his/her transfer, until the whole of his/her debt inclusive of interest to the Jhunjhunu Kendriya Sahakari Bank Ltd., Branch is liquidated, and written consent of the Bank is obtained.
- 3 I con firm the employee have not availed Personal Loan / loan from any other institution.
- 4 In the event of transfer of the employee elsewhere, we undertake to convey the instructions to transferee office under advice to you, immediately.

Signature of the Officer

Date :

[Authority to Disburse Salary and Allowances]

.....
.....
.....
Date :

[Address of the Dibursing Authority & the Office]

IRREVOCABLE LETTER OF AUTHORITY SEHEME

Employee No. Designation

I am an employee of your organization. The Jhunjhunu Kendriya Sahakari Bank Ltd., Branch have agree to sanction a Loan of Rs (Rupees only) to me under their captioned scheme.

- 2 (a) I hereby authorise you recover by deduction from my salary payable to me by you, a sum of Rs (Rupees). every month, beginning from the month of representing the monthly instalment payable by me to the Jhunjhunu Kendriya Sahakari Bank Ltd., Branch for the aforesaid Loan and remit the amount to the aforesaid branch of the Bank.
- 2 (b) I hereby authorise you to credit/continue to credit my salary to Jhunjhunu Kendriya Sahakari Bank Ltd., Branch payable to me by you every month, since monthly instalments for repayment of the aforesaid Loan are to be recovered by the Branch, of the Jhunjhunu Kendriya Sahakari Bank Ltd., by debit to my saving Bank/Current Account No. with them, in accordance with an undertaking furnished by me to the Bank.
- 3 In case of death, retirement, resignation or discontinuing the service for any reason, I hereby authorise you to pay an amount payable on my account including amount payable by way of terminal benefits like P.F. and gratuity by reason aforesaid, to Jhunjhunu Kendriya Sahakari Bank Ltd., Branch towards the balance outstanding in the aforesaid Loan Account together with interest cost and/or the balance outstanding in the aforesaid Loan Account together with interest costs and/or any monies as may be due to the Bank in Respect of the aforesaid Loan.
- 4 I hereby agree that I shall not be entitled to withdraw or revoke the authority even in case of my transfer or otherwise until the whole of my debit inclusive etc., to the Jhunjhunu Kendriya Sahakari Bank Ltd., Branch is liquidated, and written consent of the Banked is obtained.

Yours Faithfully

Witness

Signature

Signature

Full Name

Full Name

Designation

Designation

Branch/Department

Branch/Department

Date

Date

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.,

शाखा झुंझुनू

क्रमांक :—जेकेएसबी / 2013–14 / व्यक्तिगत ऋण /

दिनांक :—

श्री

.....
..... |

विषय :— व्यक्तिगत ऋण योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किये जाने बाबत।

महोदय,

आप द्वारा प्रस्तुत ऋण आवेदन पत्र के आधार पर आपके पक्ष में व्यक्तिगत ऋण योजनान्तर्गत रु. /— (अक्षरे रु.) मात्र का साख सीमा ऋण निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है :—

1. यह ऋण व्यक्तिगत ऋण योजना के प्रावधानों के तहत वितरित किया जावेगा। साख सीमा का परिचालन स्वीकृत दिनांक से एक वर्ष की अवधी तक के लिए किया जा सकेगा तथा तत्पश्चात् साख सीमा का प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा। नवीनीकरण नहीं करवाने की दशा में समस्त ऋण अवधिपार समझा जावेगा।
2. ऋण राशि पर 14 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज वसूल किया जावेगा। अवधिपार होने की दशा में 5 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज वसूल किया जावेगा। बैंक द्वारा समय—समय पर परिवर्तित ब्याज दर एवं अन्य शर्ते आपको मान्य करनी होगी। ब्याज मासिक आधार पर चार्ज किया जावेगा, जो माह के अन्त में ऋण खाते में नामे लिखा जावेगा। प्रति माह नामे की गयी ब्याज राशी एवं राशि का 5 प्रतिशत राशी अगले माह की 10 तारीख से पूर्व जमा करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा स्थिति में साख सीमा को अवधीपार समझा जावेगा।
3. शाखा प्रबन्धक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर मांगा गया दस्तावेज आपको संबंधित शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
4. ऋणी से अन्य बैंक के 5 खाली चैक बैंक के पक्ष में प्रस्तुत करने होंगे जिसका बैंक द्वारा आवश्यक होने पर उपयोग किया जावेगा।
5. चैक के अनादर होने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा 100/- रु. प्रति चैक आपके खाते में नामे लिखी जावेगी। आपका खाता 3 माह से अधिक अनियमित होने पर एकमुश्त वसूली की कार्यवाही की जावेगी।
6. बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति, पैन कार्ड ऋण वितरण से पूर्व प्रस्तुत किये जावें। किसी अन्य वित्तीय संस्था का बकाया न होने संबंधी शपथ पत्र आपको संबंधित शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
7. ऋण प्राप्त करने से पूर्व आपके एवं आपके दोनों जमानदारों को बैंक का नोमिनल सदस्य बनना होगा।
8. ऋण वितरण पूर्व आपको समुचित हैसियत वाले दो व्यक्तियों की व्यक्तिगत जमानत देनी होगी जो बैंक को मान्य हो, जो 100/- रु. के बोण्ड पर होगी।
9. ऋण स्वीकृति पर 1 प्रतिशत ऋण राशि का प्रक्रिया शुल्क आपको जमा करवाना होगा। बैंक द्वारा समय—समय पर निर्धारित अन्य शर्तों की पालना की जानी आवश्यक होगी।
10. यदि उक्त सभी शर्तों आपको मान्य हो तो आप समस्त ऋण पत्रादि पूर्ण करे ताकि आपके ऋण अग्रिम किया जा सकें।

शाखा प्रबन्धक

क्रमांक :—जेकेएसबी / 2013–14 / व्यक्तिगत ऋण /

दिनांक :—

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान प्रबन्ध निदेशक, बैंक।
2. ऋण पत्रावली |

शाखा प्रबन्धक

